संख्या -43/ 2021/1424 ई-2/तेरह-2021- 459830

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त्
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक:: 09 अगस्त, 2021

विषय- मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि.(आसवनी),द्वारिकेशनगर, जनपद बिजनौर को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किए जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी16/दो-प्रा.डी.-125, दिनांक 26-07-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26-07-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि. (आसवनी),द्वारिकेशनगर, जनपद बिजनौर को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल निर्माण किये जाने के कारण स्वीकृत क्षमता 130 कि.ली .प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 455 लाख लीटर वार्षिक से अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत बढ़ाकर 162.5 कि.ली .प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 568.75 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा शासनादेश दिनांक 01-02-2021 में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट दिनांक 30-05-2021 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन कार्य किया जायेगा। आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।